# मध्यप्रदेश शासन
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
### वल्लभ भवन, मन्त्रालय भोपाल

क्रमांक/10421/MGNREGS-MP/NR-3/SE/ 2015, भोपाल, दिनांक 01/12/ 2015

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त, (म.प्र.)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिले की चरनोई भूमि में पशुओं के लिये चारागाह विकसित करने बावत्।

संदर्भः– विभाग का पत्र क्र. 2613/MGNREGS-MP/NR-3/SE/2014, दिनांक 26.03.2014।

महात्मा गांधी नरेगा की "पशुधन विकास उपयोजना" के अंतर्गत मवेशियों को ग्राम में ही घास व वृक्षों की पत्तियाँ व पीने का पानी आसानी से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था के दृष्टिगत विभाग के संदर्भित पत्र से जारी निर्देशों में चारागाह विकास का कार्य शामिल है।

प्रत्येक ग्राम में ग्राम की चरनोई भूमि को चारागाह के रूप में विकसित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हैं :–

1. ग्राम के राजस्व अभिलेखों के चिन्हित चरनोई भूमि की सुरक्षा हेतु सीमांकन कराया जावे।
2. चरनोई भूमि को इस तरह विभाजित किया जावे, जिससे चारागाह विकास की गतिविधि एवं पशुओं को चराई का स्थल बारी–बारी से हमेशा उपलब्ध रहे।
3. चरनोई भूमि को विभाजित करने तथा सुरक्षित करने हेतु सूखे पत्थर की दीवार अथवा सी. पी.टी. बनायी जावे।
4. संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ को पत्र क्र.11624/योजना/चारा/MGNREGA/2015–16 दि. 19.11.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि चरनोई भूमि पर चारागाह विकास किये जाने पर चारा बीज की व्यवस्था जिला पशु कल्याण समिति द्वारा की जा सकती है।

चारागाह विकास के कार्यो को प्रदेश स्तर पर "चलो चरनोई" के रूप में मॉनिटर किया जायेगा एवं संलग्न प्रपत्र–1 में जिले द्वारा जनपद पंचायतों से जानकारी प्राप्त कर मॉनिटरिंग की जावेगी एवं प्रपत्र–2 में जनपद पंचायतों से प्राप्त जानकारी संकलित कर परिषद को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से ई–मेल ce.nregs@gmail.com पर प्रेषित की जावेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(अरूणा शर्मा) 1/12/15
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./10422 / MGNREGS -MP/NR-3/ SE/2015 भोपाल, दिनांक 01/12/2015

प्रतिलिपि,

कमिश्नर, समस्त संभाग (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

1/12/15
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग